



**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**  
**डिक्री**

दिनांक :- 25/05/2020

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री चानण राम, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मितल आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

**वादीगण को प्राप्त भूमि:-** चक 38 एम.ओ.डी के एकल खाता संख्या 54 की कुल 2.783 हैक्ठ नहरी गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि मे से 2.024 हैक्ठ का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 0.759 हैक्ठ कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम से यथावत रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्तल आर.ए.एस. )  
उपरखण्ड अधिकारी एवम्  
सहायक कलेक्टर एवं  
पट्टेन सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा